(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Environment clearance for lease of marble quarries near Ambaji in Gujarat

2217. SHRI VITHALBHAlM. PATEL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposal of Forests and Environment Department of Gujarat to permit them to lease marble quarries in Ambaji forest area in Banaskantha in that State has been pending with Government since long;

(b) if so, whether Government are aware of the mass unemployment caused due to closure of these quarries due to non-clearance of the proposal; and

(c) if so, by when the proposal is likely to be given clearance ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (MRS. MANEKA GANDHI): (a) & (c) A proposal for denotification of 198. 28 hect. of marble mining lease area Ambaji in Banaskantha district of Gujarat State was received by the Central Government in July 1988 for according clearance under Forest (Conservation) Act, 1980. However, no proposal for clearance from Environmental angle has so far been received in this Ministry. The forest clearance and environment clearance are *to* be given simultaneously.

. (b) Information is being collected from State Government and will be laid on the Table of the House.

देश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्व्यवस्थापन

2218. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें अभी पुनर्व्यस्थापित किया जाना है ;

(ख) क्या सरकार उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने के संबंध में कोई योजना बना रही है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजा रमन्ना) : (क) विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के संबंध में रखे गए चालू रजिस्टरों के अनुसार 1-1-1990 को 2,59,780 भूतपूर्व सैनिकों के लिए अभी रोजगार उपलब्ध कराया जाना है ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है । केन्द्र सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के विभागों और राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है । अधिकतर राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिविल पद अलग-अलग मात्रा में आरक्षित करने की व्यवस्था की है । इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को स्वःरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं । इनमें "सेमफेक्स-1" योजना शामिल है । इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योग स्थापित करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । "सेमफेक्स-2" योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी कृषि और गैर-कृषि काम धन्धे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियां आवंटित की जाती हैं, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की ऐजेंसियों को आवंटन किया जाता है, कोयले एवं पैट्रोलियम उत्पादों के लिए परिवहन ऐजेंसियां दी जाती हैं, भूतपूर्व सैनिकों की लघु उद्योग यूनिटों द्वारा रक्षा स्थापनाओं को सप्लाई किए गए सामान की कीमत पर आर्थिक सहायता दी जाती है, इत्यादि ।